

25/3/22

पत्रावली पेश हुई ।
अज्ञात नामों के आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अज्ञात नामों लेकर
पत्रावली आइत्या 28/3/22 को पेश हो ।

परमलार
(वडी)

28/03/22 - पत्रावली काज पेन्न हूयी वकील
वकील उपस्थित । वकील सं. 1 व
उत्पत्ती सं. 1 उपस्थित वकील
वकील द्वारा वकील भी लाइस
दे वकील । परमलार के उपस्थित
कर साक्षी कामक पत्र पेन्न किया
का. 1 उत्पत्ती सं. 01 परमलार के

सहायक कलेक्टर, गुडामाला



स्त्रीकार किरा जाफर गाम लुवावा जाम्बीर के ख-नं. 443, 475, 501 रकवा क्रमांक: 29-19, 48-00, 31-17 बीघा, गाम लुवावा रकुड के ख-नं. 155, 155/2 रकवा क्रमांक: 22-12, 7-00 बीघा, गाम उकजी भी काली के ख-नं. 15, 84, 85 रकवा क्रमांक: 0-13, 12-16, 21-17 बीघा, गाम भोलगार नगर के ख-नं. 325, 380 रकवा क्रमांक: 39-17, 45-09 बीघा एवं गाम भोलगार नगर के खेत ख-नं. 365, 366, 367 रकवा क्रमांक: 0-04, 29-06, 12-07 बीघा के जलियाडी लं 01 के हिल्ले की भूमि में वासीगण के जलियाडी लं. 1 के साथ सह खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजखे रिकॉर्ड में फलसुदामस कर राजखे रिकॉर्ड में सुफार की पुब्लिशिड की लकी इसी प्रकार बिकरी पनी जारी हो प्रजापली विधि सुमार होकर अखिल सपार हो।

विधि गाम दिनांक 28/03/2022 के सुले न्यायालय के करे अखिल सुमाण गाम।

(YKJ)
(जोड सुमार)
बहायक कलेक्टर, मुद्रापालावी

डिग्री व मुकदमा इकादाई
(ओ. 20 क. 6-7 जाका दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी
व इजलारा श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

वादीगण

1. परभताराम पुत्र दजाराम
 2. भेघाराम पुत्र दजाराम
- जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाइमेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दजाराम पुत्र कचराराम
2. माधाराम पुत्र पूराराम
3. दरगाराम पुत्र पूराराम
4. खंगाराराम पुत्र पूराराम
5. आदाराम पुत्र पूराराम
6. पुरखाराम पुत्र पूराराम
7. लिखमाराम पुत्र रूपाराम फौत के कायम मुकाग
7/1 अगराराम पुत्र लिखमाराम
7/2 जूंजाराम पुत्र लिखमाराम
7/3 गलाराम पुत्र लिखमाराम
7/4 हुआ पत्नी लिखमाराम
8. प्रागाराम पुत्र सूराराम
9. हुकमाराम पुत्र सुराराम
10. तेजा पुत्र नाथा
11. भजनाराम पुत्र नाथाराम
12. खुशालाराम पुत्र नाथाराम
13. जोधाराम पुत्र नाथाराम
14. सोनी पत्नी नाथाराम
15. चमू पुत्री दीपाराम
16. जोराराम पुत्र पूराराम
17. मैनेजर एस.वी.वी.जे. वर्तमान एस.वी.आई. बैंक शाखा गुडामालानी
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाइमेर


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 वास्ते घोषणा

मुकदमा नम्बर :- 120/2019

निर्णय दिनांक :- 28.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिरसाल कताई रुबरु श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता मिनजानिव मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम लूणवा जागीर के खसरा नम्बर 443, 475, 501 रकबा कमशः 29-19, 48-00, 31-17 बीघा, ग्राम लूणवा खुर्द के खसरा नम्बर 155, 155/2 रकबा कमशः 22-12, 7-00 बीघा, ग्राम उकजी की ढाणी के खसरा नम्बर 15, 84, 85 रकबा कमशः 0-13, 12-16, 21-17 बीघा, ग्राम भोलागर नगर के खसरा नम्बर 325, 380 रकबा कमशः 39-17, 45-09 बीघा एवं ग्राम भोलागर नगर के खसरा नम्बर 365, 366, 367 रकबा कमशः 0-04, 29-06, 12-07 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर राजस्व रेकर्ड में सुधार की पूर्विष्टि की जावें। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

वसख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/3/2022 को जारी की गई।



(प्रमोद कुमार)

अज अदालत सहायक कलक्टर गुडामालानी
(S.D.O.) गुडामालानी